



भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान
ICFRE-RAIN FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

Indian Council of Forestry Research & Education

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त परिषद)

(An Autonomous body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

पो. बॉक्स सं. 136, देववन, जोरहाट - 785001, असम

Post Box No. 136, Deovan, Jorhat-785001, Assam



सं/ No.: DIR/Notes& Circular/2015/Vol.-II/1133

दिनांक/Date: 28.12.2023

Circular

विषय /Subject: पीआईएमएस प्रणाली में छुट्टी के अनुमोदन-बाबत। /approval of Leave in PIMS system—
reg.

संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के छुट्टीके आवेदनों को पीआईएमएस पोर्टल में अग्रेषित करने में काफी देरी देखी गई। इस प्रकार बहुत देर से आवेदन अग्रेषित करने से संपूर्ण तंत्र की विफलता देखने को मिलती है। इसलिए, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे पीआईएमएस में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टी का आवेदन प्रतिदिन अग्रेषित करना सुनिश्चित करें और आवेदक द्वारा छुट्टी आवेदन करने के तुरंत बाद पीआईएमएस में छुट्टी अग्रेषित करें।

सभी आवेदकों को भी यह सुझाव दिया जाता है कि वे पीआईएमएस में अपने आवेदन उनके वरिष्ठों द्वारा समय पर अग्रेषित कराना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि छुट्टी स्वीकृत है या नहीं है, तभी कोई छुट्टी का लाभ उठाएं। छुट्टी का लाभ छुट्टी की स्वीकृति सुनिश्चित करने के पश्चात ही लें।

तत्काल प्रभाव से, छुट्टी की तारीख निकलने के पश्चात अधोहस्ताक्षरित को अग्रेषित होने वाली छुट्टियों की मंजूरी नहीं दी जाएगी और कुछ असाधारण अपवादों के साथ, जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

A considerable delay has been noticed in forwarding of leave application of the subordinate & end employees in PIMS by the concern controlling officers/Head of Division/ Section of the applicant even sometime after one & half month after the application submitted for approval. Very late forwarding with defecates purpose of the whole systems of leave sanction. Therefore, all controlling officers/Head of Division/Section are requested to ensure daily visiting the PIMS and forward leave on PIMS immediately after submission by the applicant. Any dereliction of this instruction will be viewed seriously.

All applicants are also suggested to ensure timely forwarding of their application in PIMS. by their superiors. It is also intimated that leave can be availed only after ensuring that the leave is/are approved.

Henceforth, no approvals will be given in retrospective effect and necessary actions of willful absence will be initiated, with some extra-ordinary exceptions.

(Dr. Nitin Kulkarni)

Director

1. Standard distribution to all HoDs/Scientist/Officer/Employees.
2. IT Cell, ICFRE-RFRI, Jorhar for necessary action